Nature Code
Our planet is not for sale

Carbon Market Watch

7 नवम्बर 2013

पारखी नज़र

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की विचारधाराएँ

सम्पादकीय

हमारी एन जी ओ की पत्रिका "पारखी नज़र! कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़" के सी ओ पी पूर्व संस्करण में आपका स्वागत है।

सी ओ पी 19 बहुत ही नज़दीक है। हालांकि पोलैंड 2015 के मौसम समझौते के तहत मौसम के ठोस लक्ष्यों पर कुछ बोलने वाला नहीं है , परन्तु कई महत्वपूर्ण विषय जो कि दॉव पर लगे हैं उन्हें सम्बोधित किया जाना ज़रूरी है ताकि 2015 में एक व्यापक व भविष्य तक पहुँच वाला मौसम के समझौते का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। यदि आपने अभी तक यह नहीं किया है तो कृप्या हमारे खुले पत्र पर हस्ताक्षर करें **sign-on** जिसके माध्यम से हम दुनिया भर के पर्यावरण मंत्रियों से सबसे पहले यह मॉग कर रहे हैं कि महत्वाकांक्षा को बढ़ाएँ व सी ओ पी 19 में कार्बन बज़ारों को घटाव में कमी लाने की वचनबद्धता के महत्व को कम करने से रोकें।

सी ओ पी की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए पारखी नज़र! का सी ओ पी पूर्व के संस्करण का केन्द्र बिन्दु संसार का सबसे मैला ईंधन - कोयला ऊर्जा होगा। एक अतिथि लेख यह बात सामने लाता है कि किस प्रकार भारत का सिंग्रौली ज़िले मेंसी डी एम के कोयला पावर प्रोजेक्ट ने स्थानीय समुदायों को बली का बकरा बना कर उसे मात्र एक बलिदान का क्षेत्र बना कर रख दिया। गुजरात फोरम ऑन सी डी एम गुजरात के एक अन्य कोयला पावर प्रोजेक्ट की दुख भरी दास्तान बयान करता है। यह पहला सी डी एम कोयला प्रोजेक्ट था जिसे कि ऑफ्सेट केडिट प्राप्त हुए थे। हमारे अमरीकी महाद्वीप के मित्रों ने यह दिखाया कि किस प्रकार सी डी एम के दो हायड्रो पोजेक्टों ने मानव अधिकारों का हनन किया और स्थानीय समुदायों के रोज़गार पर अतिकमण किया। इसके साथ साथ दो लेख इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कृषि कार्बन केडिटों से क्या खतरा हो सकता है और क्यों इन्हें सम्मति बाज़ार में नहीं खींचना चाहिए। हम यह भी देखेंगे कि क्यों कार्बन आफ्सेटों ने ई यू की मौसम योजना के महत्व को कम किया है और किस प्रकार उड्डयन क्षेत्र भविष्य में ऑफ्सेटों की मॉग को पूरा करने की दिशा में देख रहा है।

पारखी नज़र! कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़
एक त्रैमासिक पत्रिका है जो अंग्रेज़ी व हिन्दी में अभियान की नवीनतम जानकारियों व दुनिया भर के नज़रियों वाले लेखों के साथ प्रकाशित होती है। यदि आप इसके अगले संस्करण में योगदान देना चाहते हैं या फिर कोई टिप्पणी देना चाहते हैं तो कृप्या
adela.putinelu@carbonmarketwatch.org
से सम्पर्क करें।

पारखी नज़र!
कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज
सूचनापट्ट
page. 15

विषय वस्तु

सी ओ पी नज़दीक है: दॉव पर क्या लगा है?
page. 2

हिंसा व धमकियॉ - भारतीय कार्यकर्त्ताओं को घातक कोयला प्लांटों के खिलाफ लड़ाई से न रोकें
page. 3

भारत का मुँद्रा कोयला प्रोजेक्ट, सी डी एम में कोयला ऊर्जा के खिलाफ एक और संघर्ष
page. 5

बारो ब्लांको : सी डी एम सुधारों की आवश्यकता तक्यों है इस बात का स्पष्टीकरण
page. 6

बॉन्यिक : सी डी एम के नियमों व अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानने का अवसर
page. 7

कृषि में घटाव व कार्बन बाज़ार - अपरिचित क्षेत्र
page. 9

सुनहरे प्राकृतिक दृष्य?
page. 10

वास्तविक जॉच पड़ताल : ई यू के मौसम कानून में ऑफ्सेट
page. 12

आई सी ए ओ का 2020 में अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन समझौते का वादा
page. 13

स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार ने सी डी एम द्वारा नकारी गई भूमि में विंड फार्म प्रोजेक्ट को मान्यता दी
page. 14

सी ओ पी नज़दीक है: दॉव पर क्या लगा है?

ईवा फिल्ज़मोज़र,
कार्बन मार्केट वॉच

11 से 22 नवम्बर तक वॉरसौ में दुनिया भर के देश उन्नीसवीं बार इस बात पर समझौता करने के लिए मिल रहे हैं कि किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों में स्थायित्व लाया जाए ताकि ग्लोबल वॉर्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। यह उन देशों के लिए कतई आसान लक्ष्य नहीं है जो कि कोयले की ऊर्जा के अधीन हैं। यह लक्ष्य समझौता करने के लिए भी तब भी आसान नहीं है जबकि संसार की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कम्पनियॉं कोयले की भूमिका के विषय में अर्न्तराष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में मौसम बदलाव से सम्बन्धित एजेंडे के लिए इसी समय 'अर्न्तराष्ट्रीय कोयला व मौसम सम्मेलन' में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पोलैन्ड 2015 के मौसम समझौते के अर्न्तगत मौसम के ठोस लक्ष्यों पर कुछ बोलने वाला नहीं है, फिर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको कि सम्बोधित किया जाना है ताकि भविष्य के लिए एक वृहत व दूरगामी मौसम समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

पोलैन्ड के सी ओ पी अधिकारियों ने कई मौकों पर यह कहा है कि वे कथित फ्रेमवर्क फॉर वेरियस अप्रोचेज़ (एफ वी ए) की प्रगति को देखना चाहते हैं। यदि यह स्थापित हो जाता है तो यह फ्रेमवर्क देशों को मार्केट यूनिटों का व्यापार अपनी मौसम की वचनवद्धता यू एन एफ सी सी सी के अर्न्तगत निभाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि इस फ्रेमवर्क की मुख्य बातों को लेकर आपस में अभी तालमेल नहीं है, परन्तु एक अर्न्तराष्ट्रीय कार्बन बाज़ार के फ्रेमवर्क के विचार का कई पार्टियों द्वारा प्रचार किया गया है।

कई देशों ने, मुख्यत: पोलैन्ड ने, एफ वी ए के एक पायलट फेज़ की वकालत भी की है। यह कार्बन बाज़ार के यूनिटों का मौसम के लक्ष्यों के अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार करना संभव बना सकता है। जो देश ऐसे एफ वी ए के इस पायलट फेज़ में भाग लेंगे वे उन लाभों का मौसम के नए समझौते के अर्न्तगत जो 2020 के बाद लागू होगा, 2020 से पूर्व जल्दी काम करके फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए यह कमी के यूनिटों को प्राप्त करना हो सकता है जिनका उपयोग वे मौसम की नई पद्धति का पालन करके कर सकते हैं। यह एक खतरनाक मिसाल भी सामने रख सकता है क्योंकि इसके कारण वे संभावित दरवाज़ों के खुलने की उम्मीद भी है जो कि वर्तमान में मौजूद गर्म हवा में बढ़ोत्तरी ला देंगे। अन्त में ऐसा पायलट फेज़ भविष्य के मौसम समझौते की अखंडता के लिए कारगर तरीके से खतरा पैदा कर सकता है। एफ वी ए पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी **policy brief** "अर्न्तराष्ट्रीय कार्बन बाज़ार की विल्लियों को साथ लाना: फ्रेमवर्क फॉर वेरियस अप्रोचेज़ के अर्न्तगत समझौते के लिए सुझाव"

वॉरसौ में अपनी दृष्टि एफ वी ए पर रखने के साथ साथ हम सी डी एम से कोयला ऊर्जा को बाहर निकालने की जम कर वकालत भी करेंगे। सी डी एम की प्रतिष्ठा को इतना अधिक झटका लग चुका है कि योजना बनाने वालों ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि क्या नए कोयला ऊर्जा प्लांटों को सी डी एम के माध्यम से वित्तीय सहायता दी भी जानी चाहिए या नहीं। हमारी शुभकामनाएँ!

यदि अभी तक आपने यह नहीं किया है तो इन मॉंगों को सी ओ पी 19 में सुने जाने के लिए हमारे खुले पत्र में sign-on यहॉं पर हस्ताक्षर करें ताकि "कार्बन बाज़ारों को सी ओ पी 19 में घटाव की वचनवद्धता को कम करने से रोका जा सके"। यह खुला पत्र यू एन एफ सी सी सी के सभी पर्यावरण मंत्रियों व प्रतिनिधियों को उनका निम्न पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा जा रहा है :

- **स्पष्ट, निष्पक्ष व महत्वाकांक्षी वचनबद्धता** की ज़रूरतों पर सहमति देना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम 2 डिग्री की वार्मिंग के नीचे रहें।
- फ्रेमवर्क फॉर वेरियस अप्रोचेज़ (एफ एफ ए) के अन्तर्गत **कार्बन बाज़ार की ईकाइयों में व्यापार करने के पायलट चरण को खारिज करना** ताकि 2020 के पश्चात की नई मौसम प्रणाली में घटाव न आए।
- **एक अर्न्तराष्ट्रीय लेखा प्रणाली के ढॉंचे को स्थापित करना** ताकि दो बार गणना से बचा जा सके व पर्यावरण के वास्तविक लाभों को प्राप्त किया जा सके।
- **यह सुनिश्चित करना कि कार्बन बाज़ारों में घुसने के लिए महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो** ताकि किसी भी प्रकार की नई गर्म हवा का निर्माण न हो सके।
- कोयोटो की लचीली प्रणालियों जैसे की सी डी एम और जे आई से विशाल पावर प्रोजेक्टों जैसे **गैर अतिरिक्त प्रोजेक्टों को बाहर रखना** ताकि देश में मौसम वचनवद्धता के घटाव से बचा जा सके।
- **फॉसिल ईंधन के लिए मौसम की आर्थिक पूँजी को बन्द करना** और सी डी एम से कोयला ऊर्जा को बाहर निकालना।
- सी डी एम, ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, एन ए एम ए या भावी कार्बन बाज़ारों के अन्तर्गत घटाव के प्रोजेक्टों को लाया जाए ताकि **मानवाधिकारों की सुरक्षा का संरक्षण हो।**

साथ साथ जैसा कि बारो ब्लांको का सी डी एम प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप पारखी नज़र! के इस संस्करण में पढ़ेंगे, यह दिखाता है कि स्थानीय समुदायों पर सी डी एम के प्रोजेक्टों के कार्यान्वन से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से उनका संरक्षण करने की प्रणालियॉं स्थापित करने की तुरन्त आवश्यकता है। यह संरक्षण सी डी एम के बाहर भी लागू रहेंगे व भविष्य में होने वाली मौसम में घटाव की सभी प्रणालियों का अभिन्न अंग होंगे जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त आर ई डी डी प्रोजेक्ट या एन ए एम ए।

हिंसा व धमकियाँ - भारतीय कार्यकर्त्ताओं को घातक कोयला प्लांटों के खिलाफ लड़ाई से न रोकें

निकोल घियो, सियेरा क्लब इन्टरनैशनल एन्ड ट्रेड रेपरेसेन्टेटिव

आप उस स्थिति में क्या करेंगे जब एक विशाल कोयले का प्लांट आपके पीने के पानी, साँस लेने की हवा व आपके घर के पास की ज़मीन में तोड़ फोड़ करने लगे? तब क्या जब आपके पड़ोसियों को प्रोजेक्ट के लिए जगह बनाने के लिए ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया जाए?तब क्या जब वे मित्र जो कि प्लांट का विरोध कर रहे हों वे रहस्यात्मक तरीके से गायब हो जाए?तब क्या जब यह कोई नई बात न होकर रोज़मर्रा की बात बन जाए और एक ऐसी कहानी हो जो पिछले पचास सालों से बार बार दोहराई जा रही हो?यदि आप भारत के सिंग्रौली के रहने वाले हैं तो यह आपकी वास्तविकता है और आश्चर्यजनक तरीके से इसका जवाब है कि फिर भी आप इसका डट कर मुकाबला करते रहेंगे।

जीवन मात्र ऊर्जा के लिए बलिदान देते रहने का नाम है

जब 2011 में मैंने इस ज़िले का दौरा किया तो मुझे यह बताया गया कि यहाँ रहने वाले लोगों में से मूल निवासी कोई भी नहीं हैं। हरेक को ज़बरदस्ती हटा दिया गया है, और यह कई कई बार हो चुका है, पहले रिहन्द बाँध के लिए व उसके बाद इस क्षेत्र के अनेकों कोयला प्रोजेक्टों के लिए। और यदि थोड़ा सा भी इस विषय को लेकर यह दुविधा है कि कोयला कितना खतरनाक हो सकता है तो यह आँकड़ा कि 2012 में कोयले से संचालित पावर प्लाँटों के द्वारा फैले प्रदूषण से 1000000 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई
http://bit.ly/Zf6EjS

सिंग्रौली के संसाधनों का शोषण स्थानीय समुदाय को मोहरा बना कर करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? एक राजकीय कम्पनी कोल इन्डिया लिमिटेड है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कम्पनी मानी जाती है व रिलायेन्स एनर्जी जैसी प्राइवेट कम्पनियाँ कम्पनी है जिसने असंवैधानिक भूमि अधिग्रहण से भारत के कोल गेट स्कैन्डल में बहुत लाभ उठाए हैं। साथ में अमरीकी सरकार ने 900 मिलियन डॉलर देने की सहमति रिलायेन्स एनर्जी के 400 मेगावाट के सासन कोयला ऊर्जा प्रोजेक्ट व उससे सम्बद्ध खानों को दी है। इनके विरोध में खड़े होने वाले केवल स्थानीय निवासी, जनजातियों के नेता व मज़दूर हैं जिन्हें न केवल अपने घरों से हाथ धोना पड़ा वरन अपने स्वास्थ्य और रोज़गार से भी क्योंकि सरकार व पुलिस दोनों ही इन कम्पनियों के स्वार्थ को ही ध्यान में रखते हैं।

कहीं जाने का रास्ता नहीं - हिंसा व धमकियाँ

2011 में मैंने हराहवा का दौरा किया था जो कि एक छोटा सा गाँव है जिसमें एक स्कूल व पानी उपलब्ध है और जहाँ के निवासियों को ज़बरन हटाया जा रहा था ताकि सासन से निकली हुई कोयले की गंदगी के लिए गढ्ढा बनाया जा सके। तबसे रिलायेन्स ने इनके घरों को नुकसान पहुँचाना आरम्भ कर दिया है - बगैर किसी अनुमति या कानूनी अधिकार के। जैसा कि कृष्ण दास साहा ने समझाया "हमारे घरों को तोड़ने के पहले हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। रात को जब हम सो रहे थे हमारे घर के एक बड़े हिस्से को गिरा दिया गया।" गाँव वालों के पास जब कोई चारा नहीं रहा तो मजबूरन उन्हें एक पुर्नवासिक कॉलोनी में जाना पड़ा जहाँ उनके बच्चों के लिए स्कूल खोला जा रहा है - जो कि मात्र एक कच्चा ढाँचा है जो कि मौसम की मार नहीं सह पाएगा और ज़्यादा दिनों तक इससे काम चलना मुश्किल है (http://bit.ly/18Nmt7z). ।

मुँह तोड़ जवाब देना: मज़बूत स्वार्थ के खिलाफ डटे रहना

धमकियों व हिंसा के बावजूद कार्यकर्त्ता रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। 12 सितम्बर को सती प्रसाद ने इस संदर्भ में एक पत्र ज़िलाधिकारी को दिया जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि जो लोग सासन से प्रभावित हुए हैं उनके दस्तावेज़ पूरे होने चाहिऐं व प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को जो कि ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी नौकरियाँ यहाँ पर सासन में स्थानीय लोगों को जो प्लांट से प्रभावित हुए हैं उनके स्थान पर ठेके पर मज़दूरों को लाया जा रहा क योंकि उन्हें डर है कि स्थानीय मज़दूर एकजुट होकर यूनियन बनाने का प्रयास करेंगे।

चित्र: www.sierraclub.typepad.com

सियेरा क्लब अमेरिका की सबसे पुरानी, बड़ी व प्रभावी ज़मीन से जुड़ी पर्यावरण संस्था है।

The Sierra Club सियेरा क्लब अमेरिका की सबसे पुरानी, बड़ी व प्रभावी ज़मीन से जुड़ी पर्यावरण संस्था है।

मिलनी चाहिएँ, स्थानीय ठेके के मज़दूरों का बाकी वेतन दिया जाए और बाउन्ड्री की दीवार बनाने से तब तक रोक लगे जब तक कि विस्थापित लोग पुर्नवासित न हो जाएँ। यदि यह न्यूनतम माँगें पूरी न की गईं तो वह सासन के मुख्य द्वार पर 19 सितम्बर को एक जन आंदोलन करेंगे (http://bit.ly/15P1iUG)।

इसकी प्रतिकिया जल्दी व कड़ी हुई। 18 सितम्बर को सती प्रसाद को उसके घर से खींच कर निकाल दिया गया और बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया (http://bit.ly/15c9UUX)। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन वह खुद करते हैं:

रात के करीब 1 बजे मुझे इन्स्पेक्टर के कमरे में ले जाया गया। वहाँ पर एस पी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कॉन्स्टेबल को दरवाज़ा बन्द करने के लिए कहा। ऑफिसर ने मुझे मेरे कपड़े उतारने के लिए कहा। मेरे ऐसा क्यों कर रहे हैं पूछे जाने पर मुझे गालियाँ दी गईं। फिर मैंने अपने कपड़े उतार दिए और केवल अन्दर के वस्त्रों में मुझसे पूछताछ की जाने लगी। ऑफिसर ने मुझसे फिर पूछा "कल सासन के गेट पर तुम क्या करने वाले थे?" मैंने कहा कि "सर मैं कम्पनी के सामने अपनी माँग रखने वाला था"। उन्होंने कहा कि "अच्छा अब यहाँ हम कम्पनी हैं और यह मेज़ कुर्सी अन्य लोग। अब बताओं तुम्हारी माँग क या है" मैंने कहा कि मैं वही कहता जो मैंने पत्र में लिखा है और वह मैंने लोगों और आपको दोनो को दिया है। उन्होंने मुझे फिर गालियाँ दीं और चिल्ला कर कहा कि अब अपना भाषण दो और ऐसा कह कर कॉस्टेबल की ओर इशारा किया जिन्होंने कि मुझे तब मारना शुरू कर दिया। मैंने चिल्ला कर कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से मुझे डंडे से पीटने को कहा। इसके बाद मेरे दोनों हाथों को बाँध कर उन्होंने मेरी बहुत जम कर पिटाई की। (http://bit.ly/egIf4R).

रात के करीब 1 बजे मुझे इन्स्पेक्टर के कमरे में ले जाया गया। वहाँ पर एस पी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कॉन्स्टेबल को दरवाज़ा बन्द करने के लिए कहा। ऑफिसर ने मुझे मेरे कपड़े उतारने के लिए कहा। मेरे ऐसा क्यों कर रहे हैं पूछे जाने पर मुझे गालियाँ दी गईं। फिर मैंने अपने कपड़े उतार दिए और केवल अन्दर के वस्त्रों में मुझसे पूछताछ की जाने लगी। ऑफिसर ने मुझसे फिर पूछा "कल सासन के गेट पर तुम क्या करने वाले थे?" मैंने कहा कि "सर मैं कम्पनी के सामने अपनी माँग रखने वाला था"। उन्होंने कहा कि "अच्छा अब यहाँ हम कम्पनी हैं और यह मेज़ कुर्सी अन्य लोग। अब बताओं तुम्हारी माँग क्या है" मैंने कहा कि मैं वही कहता जो मैंने पत्र में लिखा है और वह मैंने लोगों और आपको दोनो को दिया है। उन्होंने मुझे फिर गालियाँ दीं और चिल्ला कर कहा कि अब अपना भाषण दो और ऐसा कह कर कॉस्टेबल की ओर इशारा किया जिन्होंने कि मुझे तब मारना शुरू कर दिया। मैंने चिल्ला कर कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से मुझे डंडे से पीटने को कहा। इसके बाद मेरे दोनों हाथों को बाँध कर उन्होंने मेरी बहुत जम कर पिटाई की।
(http://bit.ly/15TfF4M)

अगले दिन स्थानीय गाँव वाले मोर्चा लेकर सासन गए जहाँ पुलिस ने मुख्य गेट को बन्द कर रखा था। ये लोग बगैर किसी शस्त्रों के थे फिर भी इनसे कहा गया कि इन्हें इन्डियन पीनल कोड की धारा 144 के अर्न्त गत गिरफ्तार किया जाएगा जिसका मानना है कि लोगों के समूह को तब गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि वे शस्त्रों के साथ एकतित हुए हों (http://bit.ly/1bwhtaX). ´.अवधेश कुमार जो कि सामुदायिक संस्था श्रीजन लोक समिति (व मेरी टीम के सिंगौली दौरे के दौरान गाइड) के प्रेसिडेंट हैं ने सती प्रसाद की गिरफ्तारी की व उसके बाद पुलिस की कार्यवाही की निम्न शब्दों में निंदा की :
बाद पुलिस की कार्यवाही की निम्न शब्दों में निंदा की :
यह स्थानीय समुदाय की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। रिलायेन्स ज़्यादा समय तक लोगों का शोषण इस प्रकार नहीं कर सकता उन्हें लोगों के द्वारा उठाए जा रहे मुख्य मुद्दों जैसे कि नौकरियाँ, मुआवज़ा व स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। स्थानीय प्रशासन इन मामलों में कम्पनियों का साथ दे रहा है यह बहुत शर्मनाक बात है (http://bit.ly/15P1iUG)।

भविष्य को बदलना

सासन जैसे प्रोजेक्टों का प्रचार भारत में रह रहे 400 मिलियन लोगों की बिजली की ज़रूरतों के निवारण के लिए किया जाता है (http://bit.ly/kuMkxY), परन्तु असलियत यह है कि पावर को दूर दराज़ तक औद्योगिक प्रयोग के लिए भेजना अधिक फायदेमन्द होता है। जब मैंने सिंगौली के आसपास यात्रा की तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर हज़ारों मेगावॉट बिजली बनने के बावजूद स्थानीय निवासी छोटे छोटे घरों में बगैर बिजली के ही जीवन यापन कर रहे हैं। वास्तव में इन्टरनैशनल एनर्जी एजेंसी (आई ई ए) ने यह पता लगाया है कि 100 प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आधी ऊर्जा सेवाएँ ग्रिड के बाहर की साफ ऊर्जा से आनी चाहिए (http://bit.ly/14ZgXiu).

सिंगौली में सती प्रसाद व अन्य लोगों का विरोध बेकार नहीं जाएगा। भारत व बाकी संसार में ज़मीन से जुड़ा एक आंदोलन खतरनाक कोयला प्रोजेक्टों का विरोध करने के लिए जन्म ले रहा है (http://bit.ly/17JSfCX)। हिंसा व धमकियों के बावजूद मैं बिल्कुल यह मानती हूँ कि संसार में सती प्रसादों की जीत अवश्य होगी। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि कोयला जनता के स्वास्थ्य व अर्थ व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है और दुनिया भर के सभी समुदाय गन्दे कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाने की माँग कर रहे हैं।

भारत के चुने हुए सी डी एम प्रोजेक्टों का विश्लेषण

भारत के गुजरात में अहमदाबाद स्थित गुजरात फोरम ऑन सी डी एम ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के बीच एक रिपोर्ट "ग्लिम्पसिस फ्रौम ग्राउ न्ड: अनैलिसिस ऑफ सेलेक्टेड सी डी एम प्रोजेक्ट्स इन इन्डिया" तैयार की। यह रिर्पोट भारत में फैले 11 प्रोजेक्टों की स्थानीय वास्तविकता का विश्लेषण करती है विशेषकर सी डी एम के दूसरे लक्ष्य का जो है: दीर्घ कालिक विकास के लक्ष्य में भागीदारी।

स्थानीय अनुसंधानकर्त्ताओं ने प्रोजेक्टों का दौरा करके सी डी एम प्रोजेक्टों के दस्तावेज़ों की तुलना स्थानीय वास्तविकताओं से की।

उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट एस आर एफ लिमिटेड एच एफ सी 23 ने आधिकारिक तौर पर 100 मिलियन रूपए दीर्घकालिक विकास के लिए तय किए थे। हालांकि यह प्रोजेक्ट 2004 में पंजीकृत हुआ था कम्पनी के द्वारा ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए गए। प्रोजेक्ट ने एक पर्यावरण प्रबन्धन योजना भी कार्यान्वित करना तय किया था। स्थानीय गाँव वालों ने ज़हरीली गैसों का बगैर किसी सूचना के सवेरे के समय स्राव होने की बात कही। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है जैसे कि आँखों में जलन होना या फिर त्वचा में जलन और फसलों का नष्ट होना।

जे के लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड ने बायोमास से फॉसिल ईंधन को बदलने के लिए कहा था। प्रोजेक्ट दस्तावेजों में कहा गया है कि बायोमास डीलरों से एकत्रित किया जाएगा जिसके लिए किसानों को अपने खेतों से बायोमास को उठाने के लिए सही पैसे भी मिलेंगे। हालांकि वहाँ जाकर पता चला कि स्थानीय जगहों से कोई बायोमास जमा नहीं किया गया और स्थानीय लोग प्रोजेक्ट में नहीं लगे हैं। इसलिए यह दावा कि प्रोजेक्ट से रोज़गार उपलब्ध होगा यह भी साबित नहीं होगा।

नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। सभी केसों में प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ों में किए गए दावों और वास्तविकता में बहुत अन्तर पाया गया। परन्तु फिर भी सी डी एम के नियम स्थानीय जनता जो कि सी डी एम के प्रोजेक्टों से सीधे प्रभावित हुई है उनके लिए कोई भी सुझाव नहीं देते। पूरी रिर्पोट आप डाउ नलोड करके पढ़ सकते हैं।

भारत का मुंद्रा कोयला प्रोजेक्ट, सी डी एम में कोयला ऊर्जा के खिलाफ एक और संघर्ष

फाल्गुनी जोशी,
गुजरात फोरम ऑन
सी डी एम

कोयले के प्रोजेक्ट लोगों के स्वास्थ्य व इकोसिस्टम पर एक ज़हरीला प्रभाव डालते हैं और ग्रीन हाउस गैसों के स्राव आने वाले कई वर्षों तक बहुत ज़्यादा रहते हैं। यू एन एफ सी सी सी को अभी इस मौसम वित्त के विवादास्पद प्रकार को सम्बोधित करना बाकी है। कार्बन केडिट के खरीददारों, सरकार व भद्र समाज के संस्थानों के बढ़ते हुए दबाव के चलते कोयले पर आधारित सी डी एम के अर्न्तगत मौसम वित्त को समाप्त होना चाहिए।

चित्र: www.ibnlive.in.com

The Gujarat Forum गुजरात फोरम ऑन सी डी एम पर्यावरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों व संस्थानों का एक नेटवर्क है। यह भारत में कार्बन मार्केट वॉच Carbon Market Watch Network's का केन्द्र बिन्दु भी है। यह फोरम विशेषकर गुजरात, भारत में सी डी एम प्रोजेक्टों की निगरानी करता है।

छह कोयला सी डी एम प्रोजेक्ट पंजीकृत

सी डी एम के अर्न्तगत वे विकासकर्त्ता जो कि कोयले के नए पावर प्लांट लगाना चाहते हैं अभी भी आफ्सेट केडिट खरीदने के लिए आवेदन यह दावा करते हुए कर सकते हैं कि वे एक कम कारगर प्लांट लगाएँगे यदि उन्हें सी डी एम का आफ्सेट राजस्व प्राप्त नहीं हुआ तो। इन प्रोजेक्टों की साफ नज़र आती अतिरिक्तता के चलते और इस तथ्य को स्वीकार करते कि कोयले के पावर प्रोजेक्ट स्थानीय जनता व पर्यावरण पर ज़हरीला दबाव डालते हैं, तब भी भारत व चीन में छह ऐसे प्रोजेक्टों को सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने पंजीकृत कर दिया है। करीब 40 से अधिक प्रोजेक्ट प्रमाणीकरण (विलिडेशन) के चरण में हैं।

परन्तु सी डी एम के माध्यम से मौसम वित्त को देने के लिए राजनैतिक सहारा कुछ कम होता जा रहा है। अगस्त में बिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि सितम्बर 2013 से वह नए सी डी एम कोयला प्रोजेक्टों में निवेश को अनुमति नहीं देगी। नॉर्वे, जो कि सी डी एम कार्बन केडिटों का सबसे बड़ा खरीददार है उसने भी यह घोषणा की है कि वह कोयला पावर प्रोजेक्टों से सम्बन्धित केडिट नहीं खरीदेगा। इसके साथ साथ फ्रॉसिसी ऊर्जा के बड़े खिलाड़ी ई डी एफ ट्रेडिंग जो कि मुंद्रा, भारत के अदानी कोयला पावर प्रोजेक्ट के आफ्सेट का खरीददार है, उसने हाल ही में घोषणा की है कि उसका अब सी डी एम के कोयला प्रोजेक्टों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने सी डी एम से कोयला प्रोजेक्टों को दूर करने की मॉग कई वर्षों पहले ही कर दी थी और आगे आने वाली मौसम में बदलाव के ऊपर वॉरसौ में होने वाले सम्मेलन में हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे।

अदानी के मुंद्रा प्रोजेक्ट ने भारत के हवा में प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन किया

छह पंजीकृत प्रोजेक्ट में से एक मुंद्रा प्रोजेक्ट है जो टुंडा और सिराचा गॉव जो कि पश्चिम भारत में गुजरात के कच्छ ज़िले के मुंद्रा तालुक में आते हैं। इस प्रोजेक्ट ने कई राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है ऐसा भारत की अप्रैल 2013 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जॉच कमेटी की रिर्पोट में बताया गया है।
उदाहरण के लिए रिर्पोट में कहा गया है कि हालांकि कम्पनी ने दावा किया था कि उसके प्रदूषण नियंत्रण के सभी तउपकरण सही स्थान पर हैं परन्तु उनके कार्यों में इसका सत्यापन या इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकी क्योंकि जॉच की रिर्पोटें उपलब्ध नहीं थीं। यह गुजरात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (जी पी सी बी) द्वारा 2011 में ग्रहण किए गए उन स्रावों को नियन्त्रित करने वाले निर्देशों का पालन नहीं करता। जी पी सी बी के अधिकारियों ने पाया कि ये स्राव उन राख से भरे डम्परों व अन्य भारी वाहनों के थे। रिपोर्ट में विशेषत: निम्न कहा गया:

भारत में हवा में प्रदूषण नियमों की इन गम्भीर अनियमितताओं व इस बात के सबूत पाए जाने पर कि जैसा कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट में दीर्घकालिक विकास के मानदन्ड तय किए गए थे उनके न होने के बावजूद भी यह प्रोजेक्ट सी डी एम का एक पंजीकृत प्रोजेक्ट बन हुआ है। अगस्त में 25 भारतीय भद्र समाज की संस्थाओं ने उस भारतीय अधिकारी को पत्र लिखा जिसने प्रोजेक्ट के पंजीकरण को मंजूरी दी थी कि सी डी एम के अर्न्तगत इस प्रोजेक्ट को दी गई स्वीकृति वापस ले ली जाए और जल्द से जल्द हुए नुकसान की भरपाई की जाए व भविष्य में होने वाले नुकसान को कम किया जाए जैसा कि जॉच कमेटी की रिर्पोट की एक्शन योजना में तय किया गया है। इस पत्र को डाउनलोड करने के लिए यहॉ **here** क्लिक करें।

> **"यह स्पष्ट है कि कम्पनी द्वारा उन नियमों को गम्भीरता से नहीं लिया गया जिन्हें शुरू करते समय मानना स्पष्ट किया गया था। कई केसों में उन अवस्थाओं में नियमों को न मानने की रिपोर्ट मिली है"**

अक्टूबर में भद्र समाज के 30 संस्थानों ने फ्रॉसिसी सरकारी अधिकारियों को पत्र लिख कर यह गुहार की है कि

वे प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की भागीदारी को समाप्त कर दें और प्रोजेक्ट के समर्थन के पत्र को वापस ले लें व कोयलापावर प्रोजेक्टों को सी डी एम व आने वाली सी ओ पी 19 कॉन्फ्रेन्स जो कि पोलैन्ड में होने वाली है उससे बाहर रखने की बात को समर्थन दें। इन पत्रों को डाउनलोड करने के लिए कृप्या यहाँ क्लिक करें **here.**

अदानी के मुंद्रा प्रोजेक्ट में रहस्यात्मक तरीके से ई डी एफ की साँठ गाँठ

अदानी के मुंद्रा सी डी एम प्रोजेक्ट जो कि 2009 में पंजीकृत हुआ था उसमें ई डी एफ ट्रेडिंग एक लाभान्वित होने वाली कम्पनी की तरह आता है। अगस्त 2013 में ई डी एफ ट्रेडिंग ने औपचारिक तौर पर घोषणा की थी कि वह अब प्रोजेक्ट से संलग्न नहीं है परन्तु तब से उसने इस संदर्भ में किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी को देने से इन्कार किया है और किसी प्रकार की पृष्ठभूमि की जानकारी भी नहीं दी है जैसे कि यदि ई डी एफ ट्रेडिंग ने नहीं तो 600.000 कार्बन आफ्सेट किसके द्वारा खरीदे गए हैं।

13 अगस्त 2013 को ई डी एफ ट्रेडिंग ने फ्रॉसिसी ऊर्जा के दैनिक अखबार 'एनरप्रसे' में कहा कि "यह कम्पनी अबसे संविदात्मक रूप से सी डी एम के अधीन भारत के अति आलोचनात्मक कोयला पावर प्रोजेक्ट से किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है"। क्योंकि ई डी एफ ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट से जुड़ाव उस पत्र के द्वारा प्रमाणित है जो फ्रॉसिसी सरकार ने जारी किया है और जो यू एन एफ सी सी सी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है, इसलिए यह निर्णय चौंका देने वाला लगा। यह वक्तव्य और अधिक विशेष रूचि का इसलिए भी है क्योंकि अदानी मुंद्रा पहला सी डी एम कोयला पावर प्रोजेक्ट रहा है जिसे कि 600.000 कार्बन आफ्सेट केडिट प्रदान किए गए हैं।

गुजरात के स्थानीय पर्यावरण पर इस प्रोजेक्ट द्वारा गम्भीर ज़हरीले खतरे को देखते हुए भद्र समाज की कई संस्थाओं ने भारतीय सरकार, फ्रॉसिसी सरकार व ई डी एफ ट्रेडिंग को कई पत्र इस सम्बन्ध में भेजे हैं कि इस बात को स्पष्ट किया जाए कि मुंद्रा के रहस्यात्मक कार्बन आफ्सेट केडिट कहाँ से आए। और जानकारी के लिए तैयार रहें!

बारो ब्लांको : सी डी एम सुधारों की आवश्यकता क्यों है इस बात का

अल्यिसा जोहल, सीनियर अटार्नी, सेन्टर फॉर इन्टरनैशनल एन्वायरॉन्मेन्टल लॉ (सी आई ई एल)

चेत: अल्यिसा जोहल

जैसे जैसे हम मौसम पर बातचीत के अगले दौर के लिए कमर कस रहे हैं यह साफ होता जा रहा है कि सी डी एम सुधारों के लिए यही सही समय है। वॉरसौ में होने वाली मौसम सम्बन्धी बातचीत यू एन एफ सी सी सी की सब्सिडियरी बॉडी फॉर इम्पलीमेन्टेशन (एस बी आई) अपने सी डी एम के तौर तरीकों पर सुझावों को प्रस्तुत करेगी। सेन्टर फॉर इन्टरनैशनल एन्वायरॉन्मेन्टल लॉ (सी आई ई एल), कार्बन मार्केट वॉच व अन्य ने अपने सुझाव रखें हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा पर केन्द्रित हैं made our own recommendations, focused on establishing human rights safeguards और जिनसे सामाजिक व पर्यावरण के नुकसान को रोका जा सकता है, ज़्यादा जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सकता है व सभी साझेदारों का कारगर तरीके से भाग लेना सुनिश्चित किया जा सकता है।

मानवाधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?

सी डी एम प्रोजेक्टों के तहत हो रहे मानवाधिकारों के हनन की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देने से यह पता लगता है कि सी डी एम ऐसे प्रोजेक्टों के नमूने बनाने, कार्यान्वन में लाने और लगातार निरीक्षण करते रहने में असफल रहा है जो मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकें। इसका एक उदाहरण बारो ब्लांको प्रोजेक्ट है जो कि 29 मेगा वॉट का एक हायड्रो इलेक्ट्रिक बॉध है जिसका निर्माण पश्चिमी पनामा में वर्तमान में तवासा नदी के ऊपर चल रहा है। प्रोजेक्ट के विकास के शुरूआती चरणों में कम्पनी जेनिसा ने पहले से उपलब्ध मुफ्त स्वीकृति प्रभावित हुई नगावे जनजाति से नहीं ली थी और वहाँ की भूमि पर होने वाले पर्यावरण के दुष्प्रभावों का अन्दाज़ा लगाने में भी वह असमर्थ हुए थे। इन अनियमितताओं के बावजूद भी पनामा की सरकार ने मई 2008 में हुए पर्यावरण पर प्रभाव के विश्लेषण के बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी थी। जैसा कि कार्बन मार्केट वॉच As Carbon Market Watch has reported, ने सूचित किया था कि बारो ब्लांको प्रोजेक्ट के प्रभाव से नगावे जनजाति के मानवाधिकारों का संरक्षण करने में सरकार को असफल ठहराने के लिए कई कार्य किए गए हैं।

Center for International Environmental Law (CIEL)
सेन्टर फॉर इन्टरनैशनल एन्वायरॉन्मेन्टल लॉ (सी आई ई एल) कानून की शक्ति का प्रयोग पर्यावरण की सुरक्षा, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए करती है और एक समान व दीर्घकालिक समाज के निर्माण में योगदान करती है। सी आई ई एल एक लाभ रहित संस्था है जो कि अर्न्तराष्ट्रीय जनता के हित की वकालत करने के लिए कानूनी परामर्श व योजना सम्बन्धी अनुसंधानों, विश्लेषण, शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता के निर्माण द्वारा वचनबद्ध है।

बारो ब्लांको के संदर्भ में जनजातियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यू एन के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट

पिछले कई महीनों से बारो ब्लांकों प्रोजेक्ट के खिलाफ कॉन्फ्लेन्स एक नए स्तर पर पहुँच चुका है। जुलाई के अन्त में यू एन की जनजातियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष संवाददाता जेम्स अनाया ने नगावे बूगले कोमारका का दौरा करके बारो ब्लांको में मानवाधिकारों के हनन के विषय में स्वयं जानकारी ली। अपने उपसंहारिक वक्तव्य **concluding statement,** में अनाया ने स्पष्टत: उन मानवाधिकारों के हनन का ज़िक किया है जो कि बारो ब्लांको के केस में हुए और बारो ब्लांको (केवल यही एक प्रोजेक्ट का ज़िक किया गया है) को कई विकास के प्रोजेक्टों का आधार बताया है जो पनामा की जनजातियों के जीवन व रोज़गार के लिए ख़तरा हैं। यू एन की प्रणाली की ओर से एक औपचारिक वक्तव्य मानवाधिकारों को पहचानने व सी डी एम प्रोजेक्टों जैसे कि बारो ब्लांको में हुए मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिए जाने वाला महत्वपूर्ण चरण है। सी आई ई एल (और 1000 से भी ज़्यादा चिंतित नागरिक व सहयोगी संस्थान) ने तबसे विशेष संवाददाता अनाया को इन मुद्दों को सीधे सीधे सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड और कोयोटो प्रोटोकॉल के सदस्यों तक लेकर जाने की गुहार की है।

इन मानवाधिकारों के उल्लंघनों की अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता होने के बावजूद बारो ब्लांको प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। सितम्बर में यू एन के विकास कार्यक्रम ने प्रोजेक्ट के प्रभावों का अपना दूसरा स्वतन्त्र विश्लेषण समाप्त किया और एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि बारो ब्लांको प्रोजेक्ट नगावे के नागरिकों व उनकी भूमि को काफी नुकसान पहुँचाएगा। आगे यह ऐसा भी कहती है कि नगावे के नागरिकों को ठीक से पहले से इसके प्रभावों के विषय में जेनेसिया द्वारा परिचर्चा के समय बताया नहीं गया था। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि भी करती है कि प्रोजेक्ट से नगावे संस्कृति भी प्रभावित होगी क्योंकि सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों जैसे कि कब्रिस्तान, पुरातात्विक स्थानों व उन पवित्र पेड़ पौधों को भी ख़तरा होगा जिन्हें नगावे के वासी बहुत महत्व देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि प्रोजेक्ट अर्न्तराष्ट्रीय मानदन्डों व मानकों का समर्थन करता है विशेषकर मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा, परन्तु वास्तविक तौर पर इन मानकों के पालन का विश्लेषण वह करता नहीं है।

वॉरसौ में सी आई ई एल, कार्बन मार्केट वॉच व भद्र समाज के अन्य समूह अपनी बारो ब्लांकों और अन्य सी डी एम प्रोजेक्टों से सम्बन्धित मानवाधिकारों पर प्रभावों के खिलाफ जागरूकता अभियान को जारी रखेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सी डी एम के तहत मानवाधिकारों की सुरक्षा की ज़रूरत है। ये बदलाव न केवल बारो ब्लांको की प्रभावित जनजातियों के लिए संसाधन का प्रदान करने का एक ज़रिया बनेंगे वरन सी डी एम की संस्थानिक योजनाओं में भी बदलाव लाएँगे ताकि दुनिया भर में अन्य सी डी एम प्रोजेक्ट पर्यावरण व मानवीय नुकसान न करें।

> "हमने विशेष संवाददाता अनाया से इन मुद्दों को सीधे सीधे सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड और कोयोटो प्रोटोकॉल के सदस्यों तक लेकर जाने की गुहार की है"

बॉन्यिक : सी डी एम के नियमों व अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानने का अवसर

जोआना एब्रिगो, कानूनी सलाहकार, मौसम बदलाव कार्यक्रम, एन्वायरॉन्मेन्टल एडवोकेसी सेन्टर ऑफ पनामा (सी आई ए एम)

चित्र: जोआना अब्रिगो, नासो जनजाति

आने वाले कुछ दिनों में बॉन्यिक हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पंजीकरण की प्रार्थना का पुनरीक्षण आरम्भ हो जाएगा। यदि यह खारिज हो गया तो सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड सारी दुनिया के सामने यह संदेश भेजेंगे कि सी डी एम के नियमों व अर्न्तराष्ट्रीय कानून का पालन करने की ज़रूरत है।

बॉन्यिक हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक 31.8 मेगा वॉट का हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि रिपब्लिक ऑफ पनामा में बॉन्यिक नदी पर स्थित है। पनामियन व अन्य कई अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों ने Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI), International Rivers, FERN and CIAM, अर्न्तराष्ट्रीय नदियों फर्न व सियाम ने प्रोजेक्ट को रद्द करने की मॉग की है।

ciam
Centro de Incidencia Ambiental • Panamá

एन्वायरॉन्मेन्टल एडवोकेसी सेन्टर ऑफ पनामा (सी आई ए एम) का लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा निवासियों की भागीदारी के साथ, जानकारी व ज्ञान फैला कर, नेटवर्क व दायित्व जगा कर करना है ताकि निर्णयों व योजनाओं को प्रभावित किया जा सके।

बॉस्क प्रोटेक्टर पालो सेको आरक्षित क्षेत्र जहाँ कि यह प्रोजेक्ट स्थित है एक बफर क्षेत्र की तरह तलामान्का रेन्ज अमिस्टाड रिज़र्व/अमिस्टाड नैशनल पार्क के लिए जो कि पनामा व कॉस्टा रीका की हेरिटेज साइट है, काम करता है। बॉन्यिक को मान्यता दिए जाने से युनेस्को के व्लर्ड हेरिटेज कमेटी के सुझाव की अवहेलना होगी।
इस प्रोजेक्ट का दावा है कि यह अतिरिक्त है क्योंकि यह आरक्षित क्षेत्र में है जो कि मूल निवासियों की भूमि है।

यह सच है कि प्रोजेक्ट पहले से एक शान्त क्षेत्र बॉस्क प्रोटेक्टर पालो सेको आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। स्थितियाँ सच में किसी भी निर्माण के अनुकूल नहीं हैं परन्तु यह उस क्षेत्र के किसी भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट के क्षेत्र के लिए ऐसी ही होंगी। क्षेत्र की उच्च बायो डाइवर्सिटी निवेश के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। इसकी सुरक्षा करना पनामा के कानूनी मान्यता जो कि कन्वेन्शन ऑन बायोलौजिकल डाइवर्सिटी की सहमति से है।

यह नासो के मूल निवासियों के परम्परागत क्षेत्र **Naso indigenous people**. में स्थित है। देखने वाले कारक जैसे कि इन क्षेत्रों में कानूनी तौर पर मान्यता का न होने से भी काफी ज़्यादा आन्तरिक परेशानी नासो लोगों को हुई है। जो मुआवज़ा समुदाय के नेताओं को कानूनन दिया गया वह स्थिति से उबारने के लिए काफी नहीं है और वास्तव में उससे और अधिक तनाव उत्पन्न हुआ है **more conflict** इसलिए सी डी एम से मिलने वाला पैसा भी भरपाई नहीं कर सकता।

"प्रोजेक्ट के कार्यान्वन में एक मुख्य अवरोध यह है कि प्रोजेक्ट एक सामाजिक व पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्र के अर्न्तगत आता है जो कि प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता मिलने की राह में एक अवरोध है" (PDD, p.16)

अगस्त **2013** में यू एन के जनजातियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के विशेष संवाददाता जेम्स अनाया ने पहचाना कि नासा लोगों को बहुत अधिक प्रादेशिक असुरक्षा है। एक युनाइटिड नेशन की संस्था होने की हैसियत से सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड का दायित्व बनता है कि सबको समान इज़्ज़त मिले व मानवाधिकारों का पालन हो। साथ साथ नासों लोगों की सामुदायिक भूमि का सरकार द्वारा अनादर न हो।
निरीक्षण रिपोर्ट यह भी स्पष्ट नहीं करती कि कैसे प्रोजेक्ट के निर्माण में **50** प्रतिशत प्रगति हो गई जबकि उसे सी डी एम से पैसा प्राप्त नहीं हुआ और निवेश में कथित बाधाएँ भी थीं।

बॉस्क प्रोटेक्टर पालो सेको आरक्षित क्षेत्र जहाँ कि यह प्रोजेक्ट स्थित है वह तलामन्का रेन्ज के अमिस्टाड रिज़र्व /अमिस्टाड नैशनल पार्क के लिए बफर ज़ोन है और यह पनामा और कौस्टा रीका की व्लर्ड हेरिटेज साइट भी है। बॉन्यिक को मान्यता मिलना युनेस्को की व्लर्ड हेरिटेज कमेटी के सुझावों की सीधी अवहेलना है।

बॉन्यिक हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पंजीकरण सामान्य हेरिटेज व मूल निवासियों के मानवाधिकारों के सम्बन्ध में अर्न्तराष्ट्रीय कानून की भी अवहेलना करेगा।

साझेदारों द्वारा यह व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए परन्तु उन पर डेज़िग्नेटिड ऑपरेशनल एन्टिटी (डी ओ ई) ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह संस्था मेज़बान देश के स्थान पर प्रोजेक्ट को मान्यता देती है।

सी डी एम के नियमों के अनुसार डी ओ ई उन सभी टिप्पणियों को मद्दे नज़र रखना होता है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वन का विश्लेषण करते समय सामने आई और उन पर किए गए कार्यों और टिप्पणियों के बारे में बताना होता है। हालांकि साझेदारों द्वारा दी गई कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर सोच विचार नहीं किया गया। सी डी एम ई बी को दिए गए सुझावों का पूरा विवरण यहाँ देखें **here.**

2010 से युनेस्को व्लर्ड हेरिटेज कमेटी ने पनामा की सरकार को बॉन्यिक प्रोजेक्ट व अन्य के अति नकारात्मक प्रभावों को लेकर पीला की बायोडाइवर्सिटी की चेतावनी दे रखी है और बार बार बाँध के सभी निर्माण कार्यों को रोकने के लिए भी कहा है। 2013 में कमेटी ने खेद प्रकट किया कि "हमें खेद है कि बॉन्यिक बाँध का काम चलता बगैर नतीजों की परवाह किए चलता जा रहा है जबकि स्ट्रैटिजिक एन्वयरॉन्मेन्ट असेसमेन्ट (एस ई ए) के नतीजों पर ध्यान नही दिया जा रहा। हम सरकार से गुहार करते हैं कि इसे प्राथमिकता दी जाए और अर्न्तराष्ट्रीय मानकों के तहत सबसे अच्छे तरीकों के साथ पूरा किया जाए"। कमेटी के सभी निर्णयों को यहाँ देखें here

कृषि में घटाव व कार्बन बाज़ार - अपरिचित क्षेत

राम किशन, रीजनल ह्यूमैनिटेरियन मैनेजर, किश्चियन एड

चित्र: यू एन फोटो/किबे पाक www.unmultimedia.org/photo/

मौसम में बदलाव मानव जाति के लिए खतरा है और जबकि यह किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा नहीं है कृषि भी मौसम में बदलाव के कारण खतरे में है। हालांकि कृषि के कम करने व कार्बन व्यापार की क्षमता है इसलिए कार्बन केडिट बाज़ार में इसे लेकर आने की कोई भी चाल छोटे व हाशिए पर किसानों के लिए एक बहुत खतरनाक चाल साबित हो सकती है।

विकासशील व गरीब देशों में कृषि की बहुत मुख्य भूमिका होती है। यह न केवल लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराता है परन्तु भोजन सुरक्षा के एक बहुत बड़े अव्यव की ओर भी इशारा करता है। कृषि के कुछ तरीके अर्न्तराष्ट्रीय गैस एमिशन (जी एच जी) में भी योगदान देते हैं। खेती के अन्य तरीकों का भी मौसम के बदलाव में बहुत कम योगदान है। कृषि उत्पादन के कुछ प्रकार मौसम के परे हैं और हमें भोजन सुरक्षा व रोज़गार के संरक्षण के लिए इस समय जब हमारे क्षेत्र में मौसम का असर पड़ रहा है, उनको बढ़ावा देना चाहिए।

कृषि के क्षेत्र में मौसम में घटाव वास्तविक स्रावों में कमी व बचाव पर आधारित होने चाहिएँ। अभी तक केवल मिट्टी व कार्बन के 'सिक्वेस्टिरियन' को ही मौसम प्रणाली से हस्तक्षेप करने वाले खतरनाक कारकों से बचाव का ज़रिया माना जाता रहा है। परन्तु मिट्टी में कार्बन 'सिक्वेस्टिरियन' से वैसे स्रावों में कमी या उससे बचाव नहीं आता। क्योंकि ये कमियाँ स्थाई नहीं होतीं इसलिए तकनीकी तौर पर इन्हें सिक्वेस्टिरियन नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसे ही पतन के नमूनों में बदलाव आता है और तापमन बढ़ते हैं मिट्टी फिर से कार्बन का ज़रिया बन सकती है।

कार्बन बाज़ारों को मौसम वित्त का एक मुख्य ज़रिया माना जाता है। हालांकि वास्तविकता में यह कुछ अलग तरीके से काम करता है क्योंकि बदलावों को कृषि के क्षेत्र में दीर्घकालिक तरीकों के संदर्भ में बाज़ार पर आधारित प्रणालियों पर निर्भर रह कर प्राप्त करना बहुत मश्किल होता है। डर्बन में सी ओ पी 17 के दौरान कार्बन बाज़ारों के लक्ष्य को "लागत की कारगरता को लाने, बढ़ावा देने और घटाव के कार्यों को करने" की तरह ऐसे पारिभाषित किया गया। हालांकि अभी तक यह सब काफी विवादास्पद ही रहा है क्योंकि इन बाज़ारों का नज़रिया ऊपर से नीचे की ओर के शासन का रहा है और यह कृषि क्षेत्र के व्यवहारिक बदलावों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रख सकता व छोटे और हाशिए पर किसानों को नकारात्मक सामाजिक व पर्यावरण के प्रभावों से बचा नहीं सकता। वास्तविकता में कार्बन बाज़ार उन फर्मों के लिए लाभदायक रहा है जिन्होंने मुफ्त में सरकार से बड़े कार्बन केडिट प्राप्त किए हैं ताकि उनके उद्योगों को वित्तीय सहायता मिल सके।

बाज़ार पर आधारित प्रणालियों को अतिसंवेदनशीलता, खाद्य उत्पादन को नुकसान और दीर्घकालिक विकास जैसे मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और इसका प्रयोग समानता व अलग अलग दायित्वों के आधार पर होना चाहिए।

कृषि आफ्सेटों के प्रोजेक्ट बहुत विवादपूर्ण मुद्दे होते हैं क्योंकि ये माप व पर्यावरण अखंडता को लेकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ उचित आँकड़े उपलब्ध न होने से व अलग अलग भूमि के प्रकारों व उनसे सम्बद्ध मौसम की ज़रूरतों, पहले व भविष्य के भूमि प्रयोग व प्रबन्धन के तरीकों से समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। मिट्टी में कार्बन का तत्व फसल और फसल के चक्र, मानव कार्यों, भूमि के कार्यकाल व मौसम के अनुसार बदलता रहता है।

हम एक वास्तविक खतरे को सामने देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में मौसम में घटाव के लिए कार्बन बाज़ारों के प्रयोग को आगे अर्न्तराष्ट्रीय मौसम योजना बातचीत से प्रोत्साहन मिलेगा। इससे वर्तमान की कठिन चुनौतियाँ जैसे भूमि के अधिकार और खाद्य सुरक्षा के बढ़ने के आसार भी और बढ़ते नज़र आ रहे हैं।

christian aid

किश्चियन एड यह दावा करता है कि संसार को जल्दी से, और वह ऐसा कर सकता है, एक ऐसी जगह बन जाना चाहिए जहाँ कि सब लोग गरीबी से दूर एक भरपूर जीवन जी सकें। हम जहाँ ज़रूरत हो तुरन्त, कारगर व व्यवहारिक सलाह उपलब्ध कराते हैं ताकि गरीबी के असर व उसके मूल कारणों से निपटा जा सके।

कार्बन बाज़ार में छोटे किसानों को मात्र कार्बन केडिट पाने के लिए घसीटना सामाजिक भेद भाव व भूमि अधिकारों के कार्य काल से सम्बद्ध मानवाधिकार उल्लंघन, भूमि हड़पना और भोजन उत्पाद में ज़्यादा आसानी से आँके जा सकने वाले कार्बन सिंक के लिए विस्थापन जैसे मुद्दे संभावित चुनौतियाँ खड़ी कर देंगे।

सामान्यत: यह एक प्रचुर मात्रा में फैला हुआ विचार है कि यू एन एफ सी सी सी में बाज़ार पर आधारित प्रणालियाँ जो विचाराधीन हैं वह बहुत सफल नहीं रहेंगी और इनसे नकारात्मक वित्तीय व पर्यावरण के परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ साथ अनुभव से यह भी पता चलता है कि ऐसी प्रणालियाँ ज़्यादातर ऐसे स्रावों की कमी में योगदान नहीं देते जो कि मौसम के खतरनाक बदलाव को रोक सकें। ये तो कृषि क्षेत्र की ग्लोबल वॉर्मिंग की आदत डालने की क्षमता को परेशानी में डाल देते हैं।

आने वाली कान्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज़ जो वॉरसौ में होने वाली है उसमें बहुत कुछ दॉव पर लगा है। कृषि सब्सिडियरी बॉडी फॉर सान्टिफिक एन्ड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस (एस बी एस टी ए) का मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा जहाँ कि कृषि में घटाव के मुद्दों को जैसे कि मौसम एडैप्टेशन योजना के जुड़े हुए लाभों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ सेक्टोरियल कमी की प्रणालियाँ और कृषि की नई बाज़ार प्रणालियाँ भी चर्चा के एजेंडे में हैं। बाज़ार पर आधारित तरीकों पर मौसम में कमी लाने के लिए कृषि के क्षेत्र में निर्भर रहना खाद्य सुरक्षा और भूमि के कार्य काल के लिए एक बहुत बड़ा दॉव लगाने के समान है। नतीजतन इसका मतलब है विकासशील देशों के छोटे व हाशिए पर किसानों के लिए और अधिक खतरे का होना।

सुनहरे प्राकृतिक दृष्य?

अनिका श्रोडर, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेवेलपमेन्ट की डेस्क ऑफिसर, मिसिरिओर

गोल्ड स्टैन्डर्ड फाउन्डेशन (जी एफ एस) अपने प्रोजेक्ट के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करके भूमि प्रयोग और फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट भी शामिल कर रहा है। यदि हम यह मान कर भी चलें कि यह मानक सामाजिक अखंडता की उच्च कोटि की मिसाल रखता है और स्थानीय इको सिस्टम के विकास व संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तब भी यह बहुत से सवाल खड़े करता है। इस बात का गम्भीर खतरा है कि यह विकास एक पोटली को खोल कर रख दे और यह प्रतिज्ञा करे कि यदि ठीक से संचार न किया गया तो भूमि पर आधारित कार्य स्थानीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्वीकृति बाज़ारों में शामिल नहीं होंगे।

वृहत रूप से मान्य जी एफ एस 10 साल पहले कई एन जी ओ ने मिल कर डब्लू डब्लू एफ की अगुआई में स्थापित किया गया था ताकि उच्च कोटि के कार्बन आफ्सेट प्रोजेक्टों का मानकी करण हो सके। यह सर्टिफिकेशन ऊर्जा प्रोजेक्टों को इसलिए दिया गया क्योंकि फॉरेस्ट्री या भूमि पर आधारित कार्यों को दस साल पहले यह केडिट देने में कई खतरे थे। इन गर्मियों में जी एस एफ ने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया और अब वह 'भूमि प्रयोग और फॉरेस्ट्री मानक' प्रदान कर रहा है। वनारोपण/वानिकी के प्रोजेक्ट जिनमें मैनग्रोव भी आ जाते हैं अब वेरिफाइड एमिशन रिडक्शन (वी ई आर) वालेन्टरी आफसेटों के लिए दे सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर व इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट अभी विकास के तहत हैं।

MISEREOR
IHR HILFSWERK

MISEREOR मिसिरिओर एक विकास में सहयोग करने वाली जर्मन कैथोलिक विशप संस्था है। **1958** में इसके शुरू होने से लेकर मिसिरिओर ने किसानों के समुदाय जिसमें कि वे लोग हैं जो कि केवल मूक दर्शक न होकर बदलाव का सत्रोत हैं, उनकी आत्म निर्भरता को मज़बूती प्रदान की है।

मौसम प्रतिबन्ध

जो बात एक बहुत अच्छा विचार लगती है उसके कई संभावित खतरे भी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फॉसिल ईंधनों को ज़मीन के नीचे ही रहना चाहिए और साथ साथ इको सिस्टम का संरक्षण भी करना चाहिए। जैसे जैसे ग्लोबल वॉर्मिंग को दो डिग्री से नीचे रखने के अवसरों की खिड़की छोटी होती जा रही है एक को दूसरे से जोड़ना घटाना मदद नहीं करेगा। साथ साथ मिट्टी के अन्दर होने वाली जटिल प्रकियाएँ और बायोमास के कारण एक विश्वसनीय भूमि और इको सिस्टम के कार्बन माप - ये सब सिक्वेस्टर्ड कार्बन डाय ऑक्साइड के माप व उससे मिलने वाले वी ई आर के लिए ज़रूरी होंगे।

सम्मति बाज़ार के लिए रास्ता बनाना?

इस बात का गम्भीर खतरा है कि इस प्रकार के विकास से भूमि पर आधारित कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मति बाज़ार में शामिल हो कर एक राष्ट्रीय व स्थानीय कार्बन बाज़ार बना देंगे। ऐतिहासिक तौर पर भी देखा गया है कि वे कार्य जिनसे भूमि के प्रयोग से होने वाले स्राव कम होते हैं वे हाशिए पर किसानों व मूल निवासियों को अपराधीकरण की ओर ले जाते हैं। इसके साथ साथ ये कार्य भूमि के विस्थापान के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। इनकी पहुँच उन प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी सीमित होती है जिनके ऊपर रोज़गार प्रणाली निर्भर करती है।

कृषि को कार्बन बाज़ारों के ज़रिए वित्तीय मदद देना से केवल बड़े स्तर की कृषि व ऐसी कम्पनियों को ही मदद मिलेगी जो कि क्रेडिट खरीदने वालों पर होने वाली बड़ी शुरूआती लागत का भुगतान करने व कार्यों का निरीक्षण करने में समर्थ होंगे। यह बड़े स्तर की कृषि के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं और इनसे भूमि हड़पने के समझौते और ज़्यादा होने की संभावना होगी। साथ साथ कार्बन बाज़ार के तैयार प्रोजेक्ट शर्तिया संस्थागत, मानवीय और आर्थिक संसाधनों को विकास के अन्य प्रयासों से दूर कर देंगे क्योंकि इनकी लागत के एक बड़े भाग का भुगतान ऑफिशियल डेवेलपमेन्ट असिसटेन्स (ओ डी ए) के द्वारा किया जाएगा। कार्बन बाज़ारों से आने वाली राशि उन प्रणालियों को सहयोग देगी जिनमें कि कार्बन सिक्वेस्टेरियन तरीके सबसे ज़्यादा होंगे और नापने की सबसे सरल प्रणालियाँ होंगी न कि उन्हें जो कि किसान को सबसे अधिक सहारा प्रदान करती हों।

सरकारों की राजनैतिक रज़ामन्दी की आवश्यकता इन सुनहरे प्राकृतिक दृष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अमल में लाने के लिए हालांकि सही तरीकों को इस्तेमाल करना आवश्यक है। यदि संचार के तरीके ऊपर दिए गए प्रतिरोधों को शामिल कर ले तो जी एस एफ एक भूमिका अब भी वास्तविक समाधानों के लिए निभा सकता है। परन्तु अभी तक यह प्रश्न अनुत्तरित है कि जी एस सम्मति बाज़ार में शामिल होता है या नहीं।

मिसरिओर 2012ः **"Climate-smart agriculture - A useful development paradigm?"**
मिसरिओर 2012ः **"Carbon markets in Agriculture - Benefitting the Poor and the Climate?"**

परन्तु मध्यस्थों, व्यापारियों व जनता को किस प्रकार यह समझाया जाए कि भूमि पर आधारित कार्यों को फॉसिल ईंधन से ऑफसेट करना तब तक काम नहीं करेगा जब दुनिया भर के एन जी ओ इस क्षेत्र के क्रडिटों को कुछ ऐसा बोल कर बेच रहे हैं "तुम कार चलाओ, हम पेड़ लगाएँगे"

वास्तविक जॉच पड़ताल : ई यू के मौसम कानून में ऑफ्सेट

एडिला पुटिनेलु,
पॉलिसी असिसटेन्ट,
कार्बन मार्केट वॉच

चित : http://www.flickr.com/photos/20024546@N05

यूरोपियन एनवयरॉन्मेन्ट एजेंसी (ई ई ए)की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि यूरोपियन यूनियन आसानी से अपने कोयोटो के 2020 के मौसम लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। जहॉ एक ओर यह अच्छी खबर है वहीं रिर्पाट यह भी दिखाती है कि ई यू ने स्वदेशी कार्यो का एक बहुत बड़ा अवसर गॅवा दिया है। जहॉ ई यू की योजना बनाने वाले लोग वर्तमान में यह चर्चाऍ कर रहे हैं कि 2020 से 2030 तक की अवधि के लिए ई यू के क्लाइमेट फ्रेमवर्क का नमूना क्या हो वहीं उन्हें यह सब रोक कर पहले ई यू के ऑफ्सेट के अनुभवों का अंदाज़ा लेना चाहिए।

आफ्सेटों की स्थापना एक ऐसे सस्ते उपकरण के तौर पर हुई थी जिसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस (जी एच जी)के स्रावो में कमी लाकर मौसम के लक्ष्यों का पालन किया जा सकता था। हालांकि मौसम के लिए यह केवल एक शून्य का खेल बनकर रह गया है जिसके द्वारा कम्पनियॉ और सरकार केवल उन स्रावों की गिनती करती हैं जो कि उन ऑफ्सेट प्रोजेक्टों के द्वारा बचाए जाते हैं जिनका मौसम के प्रति दायित्व होता है। ई यू में ऑफ्सेट केडिटों का एक बड़ा हिस्सा जो कि 2020 तक स्वीकार्य था उसने सरकारों और कम्पनियों को मौसम सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया और पर्यावरण के मानकों को भी न्यूतम पर लाना सुनिश्चित कर दिया।

इन्टरनैशनल आफ्सेटों ने ई यू की मौसम योजना को कमज़ोर कर दिया

ई यू की एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को ई यू की मौसम योजना का स्तम्भ माना जाता है और यह दुनिया में एमिशन पर्मिटों का सबसे बड़ा बाज़ार है। वर्तमान में ई यू ई टी एस बहुत ही कम भत्ते के दामों, अत्यधिक आपूर्ति और मॉग में अत्यन्त कमी के दौर से गुज़र रहा है। आर्थिक मन्दी के साथ प्रदूषण पर्मिटों के अधिक आवंटन कर देने से आफ्सेट केडिटों की सीमा में बढ़ोत्तरी हो गई जिसके परिणामस्वरूप कार्बन बाज़ार के कार्यो में बाधा उत्पन्न हुई। यूरोपियन कमीशन की रिर्पोट "यूरोपियन कार्बन मार्केट की अवस्था" के अनुसार ई यू ई टी एस में अर्न्तराष्ट्रीय आफ्सेटों के प्रयोग ने अधिक आपूर्ति को 2008 से 2011 के बीच में दोगुना कर दिया है और यह अनुमान है कि 2020 तक यह अधिक आपूर्ति का तीन चौथाई हो जाएगा।

ई यू का एफर्ट शेयरिंग डिसिज़न (ई एफ डी) यानि कि कोशिशों को बॉटने का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि ई यू का 2020 के लिए ग्रीन हाउस गैस टार्गेट (जी एच जी) सदस्य देशों और आर्थिक व्यवस्था को एक वृहत कार्यक्षेत्र में कानूनन तौर पर बॉधता है। यह यातायात, भवनों और कृषि के क्षेत्रों का समावेश करके ई यू के कुल 60 प्रतिशत जी एच जी एमिशनों के लिए ज़िम्मेदार है।

अक्टूबर में यूरोपियन एन्वायरॉन्मेन्ट एजेन्सी (ई ई ए)ने अपनी वार्षिक रिर्पोट "ट्रेन्ड एन्ड प्रोजेक्शन इन यूरोप 2013" यानि कि यूरोप में 2013 के झुकाव व अनुमान जारी की। इससे पता चलता है कि मेम्बर सदस्य अपने अपने कोयोटो की वचनबद्धता को पूरा करने की राह पर हैं और 20 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य से ज़्यादा ही 2020 तक प्राप्त करने के लिए सभी तरीको का उपयोग कर रहे हैं। रिर्पोट से यह भी पता लगता है कि ई यू के मौसम लक्ष्यों तक पहुँचना संभव था और जितना सोचा था उससे आसान भी। हालांकि प्रगति की वर्तमान दर को 2050 तक 80 से 95 प्रतिशत तक ले जाना इतनी उन्नति से तो संभव दिखाई नहीं देता।

इसके साथ साथ ई आफ्सेट प्रोजेक्टों की निंदा भी हुई है क्योंकि उन्होंने दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं किए जो कि उनका गौण लक्ष्य था। अभी तक यू एन एफ सी सी सी ने उन सी डी एम प्रोजेक्टों के बारे में तथ्य इकट्ठा नहीं किए हैं जो मानवाधिकारों के हनन से सम्बन्धित हैं। सामान्यत: सी डी एम लगातार अरक्षणीय तकनीकों को ही सहारा देता रहा है जैसे कि कोयला पावर प्लांट और विशाल हायड्रो प्रोजेक्ट। इन सबसे सीखी हुई बातों से हमने एक योजना का एक नया सार निकाला है "द एलिफेन्ट इन द रूम: इन्टरनैशनल ऑफ्सेट्स इन ईयूज़ 2020 क्लाइमेट लेजिस्लेशन" जो कि यहॉ **here** पर

इन सबसे सीखी हुई बातों से हमने एक योजना का एक नया सार निकाला है "द एलिफेन्ट इन द रूम: इन्टरनैशनल ऑफ्सेट्स इन ईयूज़ 2020 क्लाइमेट लेजिस्लेशन" जो कि यहॉ **here**. पर उपलब्ध है। 2020 से 2030 तक की अवधि में एक स्वस्थ मौसम व ऊर्जा के ढॉचे के लिए माहौल तैयार करने के लिए कार्बन मार्केट वॉच निम्न सुझाव देता है:

- निम्न प्रकार के प्रोजेक्टों के ऑफ्सेट केडिटों पर दोनों ई यू ई टी एस और ई एस डी में 2013 से 2020 तक के लिए प्रतिबन्ध लग जाना चाहिए:

* औद्योगिक गैस के प्रोजेक्ट जो कि एडिपिक एसिड उत्पादन से एच एफ सी 23 व एन 2 ओ को नष्ट कर देते हैं।
* विशाल स्तर के पावर प्रोजेक्ट जिसमें कि हायड्रोपावर, विंड पावर, प्राकृतिक गैस और कोयला पावर आ जाते हैं।
* जे आई ट्रैक 1 प्रोजेक्ट

-1 इसके साथ साथ नुकसान न पहुँचाऍ' का विशलेषण भी शुरू करना चाहिए जो कि ऑफ्सेटिंग के उन प्रोजेक्टों को सस्पेन्ड कर दे जो मानवाधिकारों का हनन करते हों।

' एक भविष्य के ई यू के मौसम का ढॉचा जो 2020 के बाद के लिए हो और जो केवल घरेलू स्रावों की कमी पर आधारित हो।

आई सी ए ओ का 2020 में अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन समझौते का वादा

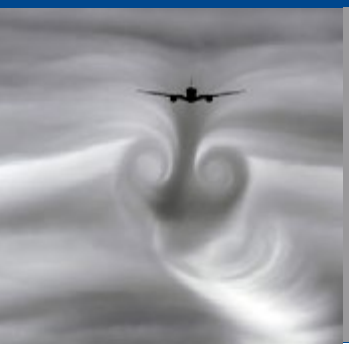

एडिला पुटिनेलु,
पॉलिसी असिसटेन्ट,
कार्बन मार्केट वॉच

चित्र : http://www.flickr.com/photos/20024546@N05

इन्टरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन (आई सी ए ओ) की त्रैवार्षिक असेम्बली की मीटिंग जिसका कि बहुत दिनों से सबको इन्तज़ार था और जो सितम्बर 2013 के अन्त में हुई उसमें यह तय किया गया कि एक ग्लोबल मार्केट बेस्ड मेशर (एम बी एम) यानि कि अर्न्तराष्ट्रीय बाज़ार पर आधारित प्रणाली बनाई जाएगी। एक सही दिखाई देने वाली प्रगति के होते हुए बी यह समझौता कुछ ठोस सामने रखने में कामयाब नहीं हुआ है। इस बात के कुछ पहलू कि यह प्रणाली कैसे काम करेगी यह पता हैं जबकि उड्डयन उद्योग एक अर्न्तराष्ट्रीय ऑफसेटिंग प्रणाली के लिए ज़ोर दे रहे हैं जो कि कार्बन के एक निष्पक्ष विकास के लक्ष्य तक पहुँचाने में कामयाब हो। अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन स्राव के बहुत खतरनाक तरीकों से बढ़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और 2020 तक की ऑफसेटिंग प्रणाली बहुत कम है और अब यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत देर हो चुकी है कि उड्डयन क्षेत्र अपने स्रावों को 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक ला पाए।

अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन (जी एच जी) मानव द्वारा उत्पन्न ग्लोवल वॉर्मिंग का 5 प्रतिशत है जो कि यातायात के बढ़ते हुए क्षेत्र को दर्शाता है। भविष्य के अनुमानों में इस क्षेत्र के स्रावों का तेज़ी से बढ़ना ही नज़र आता है। यदि उड्डयन क्षेत्र एक देश हो तो वह सातवाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला होगा। चिंता की बात यह है कि हवाई यातायात के स्राव तेज़ी से 4 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहे हैं। उड्डयन से होने वाले कार्बन डाय ऑक्साइड के स्राव 1990 से 2006 में करीब करीब दोगुने हो गए थे। फिर भी उड्डयन के स्राव वर्तमान में एमिशन रिडक्शन टार्गेट से अनुबन्धित नहीं हैं।

1997 से केवल विलम्ब

1997 में कोयोटो प्रोटोकॉल ने देशों को यू एन एविएशन बॉडी आई सी ए ओ के माध्यम से समाधान निकालने के लिए कहा था। हालांकि आई सी ए ओ ने कई सालों तक कुछ भी नहीं किया और ई यू की प्रतिकिया स्वरूप यह तय किया कि यूरोप से आने वाली व वहाँ से जाने वाली सभी उड़ानों से उत्पन्न स्रावों को एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ई यू ई टी एस 2012 के अर्न्तगत शामिल किया जाएगा। यह एकतरफा निर्णय बहुत विवादास्पद रहा है और कई देशों जैसे यू एस, रशिया, भारत और चीन ने इसका विरोध भी किया है। एक मध्यमार्ग के चिन्ह की तरह और आई सी ए ओ को एक अर्न्तराष्ट्रीय अर्थपूर्ण उड्डयन समझौते के लिए वातचीत का समय देने के उद्देश्य से ई यू ने केवल ई यू के अनदर की उड़ानों को ही 2012 में अपनी परिधि में लाना तय किया। हालांकि स्रावों को ई यू ई टी एस के द्वारा नियमित करने के मुद्दे एक बार फिर रोशनी में हैं। आई सी ए ओ के द्वारा एक संकल्प का ड्राफ्ट सितम्बर के अन्त में सामने रखे जाने के बाद जिसमें एक अर्न्तराष्ट्रीय समझौते पर 2020 तक के लिए घोषणा की गई थी, ई यू ने यह घोषणा की है कि वह अब भी ई यू के हवाई क्षेत्र में होने वाले स्रावों को तब तक नियन्त्रित करना चाहता है जब तक कि एक अर्न्तराष्ट्रीय एम बी एम लागू न हो जाए।

ई यू ने इस बात पर वाद विवाद किया है कि जब तक एक अर्न्तराष्ट्रीय एम बी एम लागू नहीं हो जाता उन अन्तरिम स्थानीय प्रणालियों को जो कि न्यूनतम हवाई स्रावों को नियन्त्रित करे, काम करते रहने देना चाहिए। आई सी ए ओ में तनावपूर्ण चर्चाओं के बाद समझौते के ड्राफ्ट ने यह स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्रणालियों जैसे कि ई यू ई टी एस तभी काम कर सकती हैं जबकि सभी पार्टियों की आपस में सहमति हो।

बाध्यकारी लक्ष्यों के खिलाफ कड़ा अर्न्तराष्ट्रीय विरोध

युनाइटेड स्टेट्स, चीन , भारत, रशिया और कुछ देश बहुत ज़ोर शोर से ई यू ई टी एस का विरोध कर रहे थे और अब वे यह मानते हैं कि ई यू अपने हवाई क्षेत्र के लिए मौसम का अपना कानून लागू करे। साथ साथ यूरोपियन कमीशन ने यह भी घोषणा की है कि वह यह चाहता है कि उसके ई यू के हवाई क्षेत्रों के स्रावों को नियन्त्रित करने के प्रस्तावों पर जल्दी से विचार कर लिया जाए और यह उसका मान्य अधिकार है। वास्तव में यह तरीका भी मौसम की सुरक्षा के लिए कोई खास मायने नहीं रखता। यदि हर देश हवाई क्षेत्र के स्रावों को नियन्त्रित कर ले तो भी अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन स्रावों का केवल 22 प्रतिशत ही नियन्त्रित हो पाएगा। बाकी का अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र व बाहर के देशों में दिखाई देगा।

जैसे जैसे दुनिया भर के देशों में इस बात की होड़ लगी है कि उड्डयन स्रावों के बंधनकारी लक्ष्यों में किस प्रकार देरी हो, उड्डयन

हमारा पॉलिसी का सार "टर्ब्यूलेन्स अहेड - मार्केट बेस्ड मेज़र्स टू रिड्यूस एविएशन एमिशन्स" पढ़ें

उद्योग पहले से ही बीच में आ गए हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि एक अर्न्तराष्ट्रीय ऑफ्सेटिंग प्रणाली ही प्रबन्धन में सबसे सरल व कार्यान्वित करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि जैसे कि पारखी नज़र! के इस संस्करण के लेखों से पता लगता है कि वर्तमान नियमों के चलते ऑफ्सेटिंग हवाई स्रावों में कमी लाना बहुत मुश्किल है। ऑफ्सेटिंग से न केवल क्षेत्र के भीतर के स्रावों में कमी लाने को कम प्रोत्साहन मिलता है बल्कि मौसम पर इसका असर भी और खराब पड़ता है तब जबकि ऑफ्सेट स्रावों की वास्तविक कमी को नहीं दर्शाते। इस बात का युद्ध कि उड्डयन स्रावों के लिए एक मज़बूत अर्न्तराष्ट्रीय बाज़ार पर आधारित प्रणाली कैसी हो आरम्भ हो चुका है।

स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार ने सी डी एम द्वारा नकारी गई भूमि में विंड फार्म प्रोजेक्ट को मान्यता दी

एरिक हेगन, चेयर, वेर्स्टन सहारा रिसोर्स वॉच (डब्लू एस आर डब्लू)

चित्र: एरिक हेगन:
http://www.flickr.com/photos/20024546@N05
सीमेन्स की विंड मिल के अंगों का पश्चिमी सहारा की राजधानी एल आउन में आगमन

वेरिफाइड कार्बन स्टैन्र्डड (वी सी एस)ने अभी हाल ही में सहारा के आरक्षित क्षेत्र में एक विंड फार्म प्रोजेक्ट का पंजीकरण किया है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट के द्वारा पहले किए गए प्रयासों से फार्म को यू एन के क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम)में पंजीकृत किया गया था परन्तु शायद यह अपनी स्थिति के कारण उल्टा पड़ गया है क्योंकि यह राजनैतिक तौर पर एक विवादगस्त क्षेत्र माना जाता है।

अपने धूप से भरपूर मौसम और ज़ोरदार हवा वाले तटीय क्षेत्र के कारण पश्चिमी सहारा उन सभी मानकों पर खरा उतरता है जो कि पुन: प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा के प्रोजेक्टों की स्थिति के लिए सही होते हैं। परन्तु यह क्षेत्र 1975 से एक लम्बे खिंचे विवाद का क्षेत्र रहा है जहॉ मोरक्को ने कब्ज़ा करके उसे दक्षिणी पड़ौसी क्षेत्र के बड़े भाग को भी हथिया लिया था। नतीजतन होने वाले युद्ध में कई हज़ार सहारा के निवासी इस क्षेत्र को छोड़ कर अल्जीरियन रेगिस्तान में चले गए जहॉ कि वे अभी तक शरणार्थियों की तरह खराब अवस्था में जीवन बिता रहे हैं। सहारा के जो निवासी जो आपने देश में बाकी बचे उन्हें मिलिट्री के अधीन होने के कष्ट उठाने पड़े हैं। युनाइटेड नेशन के द्वारा पश्चिमी सहारा एक ऐसा क्षेत्र है जो टूटने की कगार पर है और उसने हमेशा सहारा के लोगों के स्व अधिकार पर बल दिया है। दुनिया का कोई भी देश मोरक्को के इस क्षेत्र पर जमाए हक को नहीं मानता। यू एन की मध्यस्थता में होने वाली शान्ति वार्ता भी मोरक्को के हठीलेपन के कारण बाधित पड़ी हैं।

हायड्रो कार्बन संसाधनों की कमी व हमेशा बढ़ते हुए तेल के बिलों के कारण मोरक्को ने अपनी विंड और सोलर क्षमता का विकास करने में रूचि दिखाई। यह उस क्षेत्र में भी किया गया जो कि अर्न्तराष्ट्रीय कानून की अवहेलना भी करता है। फोउम अल क्विद विंड फार्म जो कि 50 मेगा वॉट की क्षमता का है, वह एक ऐसा विंड फार्म है जिसे कि मोरक्को पश्चिमी सहारा में निर्माण करना चाहता है। यह प्रोजेक्ट एक मोरक्कन कम्पनी नरेवा के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जो कि मोरक्को के राज की कम्पनी है जिनके पिता ने पश्चिमी सहारा पर कब्ज़ा किया था। यह कम्पनी जर्मनी की मल्टीनैशनल कम्पनी सीमेन्स के साथ मिलकर काम करती है और यह विंड मिल के हिस्सों व तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगी।

अपने द्वारा कब्ज़ाई हुई भूमि पर यू एन से अनुमोदन प्राप्त करने की आशा में नरेवा ने यू एन सी डी एम के लिए पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन किया था। परन्तु डे नॉरस्के वेरिटास जो कि इसके लिए डेज़िग्नेटिड ऑपरेशनल एन्टिटी है उसने 2012 में इस कारण से इसे खारिज कर दिया था कि क्योंकि यह मोरक्को के आधिकारिक क्षेत्र मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय सीमा के परे था और एक ऐसे क्षेत्र में स्थित था जो कि राजनैतिक स्तर पर विवादित था।
नरेवा की सहायक एनर्जी इओलेन ड्यू मारोक (ई ई एम) ने फिर अपना भाग्य स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार में आज़माने की कोशिश की जहॉ पर मानक नियमों की कमी होने के कारण उसे फायदा मिला। वी सी एस ने इस विवादास्पद प्रोजेक्ट को मई 2013 में पंजीकृत कर दिया। डब्लू एस आर डब्लू ने वी सी एस बोर्ड से निवेदन किया है कि इस निर्णय पर वह पुर्नविचार करे।

WSRW WESTERN SAHARA RESOURCE WATCH

वेस्टर्न सहारा रिर्सोस वॉच संस्थानों का एक नेटवर्क है जो उन विदेशी कम्पनियों के विषय में अनुसंधान व अभियानों के द्वारा पता लगाती है जो कि पश्चिमी सहारा के संसाधन में अमीर क्षेत्रों में संलग्न हैं। डब्लू एस आर डब्लू का लक्ष्य पश्चिमी सहारा में गैर कानूनी अधिग्रहण के विषय में जागरूकता फैलाना और सहारा के निवासियों के लिए स्व निर्धारण के अधिकार को बढ़ावा देना व क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को उसके निवासियों के प्रयोग के लिए आरक्षित करना है।

इस मुद्दे पर अर्न्तराष्ट्रीय नियम कानूनों और यू एन की कानूनी राय को ताक पर रखते हुए मोरक्को सहारा के प्राकृतिक संसाधानों को अपना मान कर प्रयोग करता व बेचता है।

पारखी नज़र!

सूचनापट्ट

17 अक्टूबर को कार्बन मार्केट वॉच ने यूरोपियन पार्लियामेन्ट में 'इन्टरनैशनल कार्बन ऑफ्सेट्स इन ई यू क्लाइमेट लेजिस्लेशन - टाइम टू से गुद बाय' नामका एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें किए गए प्रस्तुतिकरण व इसका सार यहाँ here. उपलब्ध है।

कार्बन मार्केट वॉच ने योजना का सार - 'द एलिफेन्ट इन द रूम - इन्टरनैशनल आफ्सेट्स इन ई यूज़ 2020 क्लाइमेट लेजिस्लेशन' निकाला है जिसे आप यहाँ here. जाकर देख सकते हैं।

हमारा अगला कार्यक्रम 'एफर्ट शेयरिंग - हाउ टू अनलॉक द पोटेन्शियल ऑफ नॉन ई टी एस सेक्टर्स इन द 2030 क्लाइमेट पैकेज' यूरोपियन पार्लियामेन्ट में 6 नवम्बर को होने वाला है। इसका विवरण यहाँ उपलब्ध है here.

वॉरसौ में 15 नवम्बर को सी ओ पी के दौरान हमारा एक कार्यक्रम होगा जिसमें सी डी एम के तहत मानवाधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा और वकालत की जाएगी। आप यहाँ पंजीकृत here करके सभी सी ओ पी के कार्यक्रमों की ताज़ी सारिणी प्राप्त कर सकते हैं here

हमारी योजना के सार को पढ़ें - रीथिंकिंग द रोले फ इन्टरनैशनल कार्बन मार्के टस् इन द ई यूज़ 2030 क्लाइमेट फेमवर्क here

सी ओ पी के खुले पत्र के लिए हस्ताक्षर करें: कार्बन बाज़ारों को सी ओ पी 19 से घटाव की वचनबद्धता को कम करने से रोकें। यह पत्र अंग्रेज़ी, फ्रेन्च, स्पैनिश, चीनी, जर्मन, हिन्दी और पोलिश में उपलब्ध है here

सी ओ पी 19 के लिए तैयारी करने के लिए हमारी स्थिति के बारे में यह पेपर ज़रूर पढ़ें - अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार की बिल्लियों को एक साथ लाना here

कार्बन मार्केट वॉच के विषय में

Carbon Market Watch

कार्बन मार्केट वॉच कार्बन बाज़ारों के विकास पर एक निष्पक्ष विचारधारा प्रस्तुत करता है और पर्यावरण व सामाजिक निष्ठा को मज़बूत बनाने की वकालत करता है। कार्बन मार्केट वॉच की स्थापना नवम्बर 2012 में सी डी एम वॉच के कार्यों को सी डी एम से आगे लेकर जाने के लिए की गई।

कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर व दक्षिण तक फैले एन जी ओ व शिक्षाविदों को जोड़ता है ताकि कार्बन आफसेट प्रोजेक्टों के विषय में जानकारी व चिंताओं को आपस में बाँटा जा सके। इसका लक्ष्य भद्र समाज की आवाज को कार्बन बाज़ार के विकास में मज़बूती प्रदान करना है।

Join the Network

पारखी नज़र के लिए आवेदन निम्न पर ईमेल करके करें!

antonia.vorner@carbonmarketwatch.org

Follow us on

ट्विट्टिर पर हमसे यहाँ जुड़ें

ट्विट्टिर का हायपर लिंक

फेसबुक का हायपर लिंक

कार्बन मार्केट वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@carbonmarketwatch.org
www.carbonmarketwatch.org

इस पत्रिका में रखे गए विचार व अनुभव लेखकों के हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि वे विचार व दृष्टिकोण सम्पूर्ण कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क के भी हों।